

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजहर्ष कालोनी कोलार मार्ग भोपाल - 462042

क्रमांक / ०५ / छा.क. / अविवाहिवि / 2019

भोपाल, दिनांक ०१ / १० / २०१९

अधिसूचना

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की वार्षिक पद्धति के स्नातक पाठ्यक्रम की मुख्य एवं पूरक परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना और उत्तरपुस्तिका का अवलोकन आदि की शुल्क एवं शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

क्रं.	विवरण	उत्तरपुस्तिका की संख्या	शुल्क	विलम्ब शुल्क
1.	पूरक परीक्षा	एक विषय	350 / -	150 / -
2.	पुनर्मूल्यांकन (मुख्य परीक्षा)	दो उत्तरपुस्तिकाएँ	250 / - (प्रत्येक)	100 / - (प्रत्येक)
3.	पुनर्गणना (मुख्य परीक्षा)	सभी विषयों की उत्तरपुस्तिकायें	50 / - (प्रत्येक)	75 / - (सभी के लिए)
4.	पुनर्गणना (पूरक परीक्षा)	सभी उत्तरपुस्तिकाओं के लिए	50 / - (प्रत्येक)	75 / - (प्रत्येक)
5.	उत्तरपुस्तिका का अवलोकन (मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा)	सभी विषयों की उत्तरपुस्तिकायें	250 / - प्रति उत्तरपुस्तिका	-

1. पूरक परीक्षा - परीक्षार्थियों को एक विषय में पूरक परीक्षा की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा का शुल्क एक विषय के लिये रुपये 350 / - देय होगा। परीक्षार्थी पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन के लिए परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस बिना विलम्ब

शुल्क के तथा उसके पश्चात 05 दिवस विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

2. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना - पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ कोई भी दो सैद्धांतिक उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। उसके पश्चात 05 दिवस के भीतर विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। पुनर्गणना के लिए सभी उत्तरपुस्तिकाओं हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3. उत्तर पुस्तिका का अवलोकन - परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का अवलोकन मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने के 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।

आदेशानुसार

(डॉ. बी. भारती)
कुलसचिव

क्रमांक/06 /छा.क./अबिवाहिविवि/2019

भोपाल, दिनांक 01/10/2019

प्रतिलिपि :-

1. मा. कुलपतिजी को निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा विभाग/गोपनीय विभाग आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वेबसाइट प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निज नस्ती।

(डॉ. बी. भारती)
कुलसचिव